

कार्यालय — जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, कानपुर नगर।

पत्रांक- / प्रोश्रेओलि0-4 / जू0हा0स्कूलगा0 / 11976 - 83 / 2014-15

दिनांक 22.11.14

प्रबंधक,

श्रीमती नारायणी देवी सनातन धर्म विद्यालय
ग्राम व पोस्ट तातियागंज, चौबेपुर कानपुर नगर।

विषय- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिये निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 15के उप नियम (4) के अधीन विद्यालय के लिये मान्यता प्रमाण-पत्र।

महोदय,

शासनादेश सं०- 418/79-6/2013-18 एस (7)/89 दिनांक 08-05-2013 में निर्दिष्ट कार्यक्रम एवं निर्देशों के आलोक में हिन्दी माध्यम से उच्च प्राथमिक स्तर की मान्यता हेतु आपके आवेदन पत्र और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार तथा अधिकारी के निरीक्षणोपरान्त उपलब्ध कराई गयी निरीक्षण आख्या के आलोक में मण्डलीय मान्यता समिति की बैठक दिनांक 17.11.2014 को लिए गए निर्णय के आधार पर मैं श्रीमती नारायणी देवी सनातन धर्म विद्यालय ग्राम व पोस्ट तातियागंज, चौबेपुर कानपुर नगर को दिनांक 01.07.2015 से दिनांक 30.06.2018 तक कक्षा 6 से कक्षा 8 तक लिये अन्तिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ। उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अधीन है-

- 1-मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है, और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता/संबंधन करने के लिये कोई बाध्यता विवचित नहीं है।
 - 2-विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपाबंध 1) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010(उपाबंध-2) के उपबन्धों का पालन करेगा।
 - 3-विद्यालय कक्षा-6 में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा। और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
 - 4-पैरा- 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिये विद्यालय को अधिनियम की धारा-12 की उप धारा (2)के उपबन्धों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिये विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
 - 5-सोसाइटी / विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा, और किसी बालक या उसके माता पिता या संरक्षक को किसी स्कीनिंग प्रक्रिया के अधीन नहीं करेगा।
 - 6-विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगा, और वह अधिनियम की धारा-15 के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा।
- VIII. प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निश्कासित नहीं किया जायेगा।
- VIII. किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीडन के अधीन नहीं किया जायेगा।
- VIII. प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
- VIII. प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा।
- VIII. अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निःसत्यता ग्रस्त / विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।
- VIII. अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा-23 (1)के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है, परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हतायें नहीं हैं, पांच वर्ष की अवधि के भीतर न्यूनतम अर्हतायें अर्जित करेंगे।
- VIII. अध्यापक अधिनियम की धारा 24 के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है, और
- VIII. अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
- 7- विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
 - 8- विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथा निर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सन्धियों को बनाये रखेगा। अन्तिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधायें निम्नानुसार हैं-

क्र०सं०	विद्यालय में उपलब्ध प्रसुविधाएं	विवरण
1	विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल	2620 वर्ग फिट
2	कुल निर्मित क्षेत्र	3120 वर्ग फिट (दो मंजिल)
3	क्रीडा स्थल का क्षेत्रफल	-
4	कक्षाओं की संख्या	4
5	प्रध्यापक -सह कार्यालय- सह भण्डारागार के लिये कक्षा	3
6	बालक/बालिकाओं के लिये पृथक शौचालय	2/2
7	पेय जल सुविधा	समसिंबलपम्प है।
8	बाधा रहित पहुँच	बाधा रहित पहुँच उपलब्ध है।
9	अध्यापक पढ़न सामग्री/क्रीडा खेल-कूद उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता	उपलब्ध है।

- 9- विद्यालय के परिसर के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएँ नहीं चलाई जायेगी।
- 10- विद्यालय भवनों या संरचनाओं या क्रीडा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिये किया जाता है।
- 11- विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी के द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
- 12- स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिये नहीं चलाया जा रहा है।
- 13- विद्यालय के लेखाओं की किसी चाटर्ड एकाउंटेंट द्वारा समीक्षा की जानी चाहिये। और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिये, तथा उचित लेखा विवरण, नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिये। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष, जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिये।
- 14- आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक जू0हा0 स्कूल/हिन्दी माध्यम -2014-15/ _____ है। कृपया इसे नोट कर लें, और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिये इस संख्यांक का उल्लेख करें।
- 15- विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है, जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो, और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के लिये अनुदेशों का पालन करता है। जो मान्यता संबंधी शर्तों के शतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्य करण की कमियों को दूर करने के लिये जारी किये जायें।
- 16- सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण यदि कोई हो तो सुनिश्चित किया जाये।
- 17- संलग्न उपाबन्ध के अनुसार अन्य कोई शर्त।
- 18- विद्यालय में शिक्षण कार्य टी0ई0टी0 उत्तीर्ण शिक्षकों से ही कराया जाये, तथा यदि कोई तथ्य गोपन प्रबंधतंत्र द्वारा प्रस्तुत पाया गया तो विभागीय नियमों की परिधि में कार्यवाही की जायेगी, जिसके लिये वह स्वयं जिम्मेदार होंगे।

(राजेन्द्र प्रसाद यादव)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
कानपुर नगर।

पृ0सं0/प्र0श्रे0लि0-4/जू0हा0स्कूल0मा0/11976-03 /2014-15 तददिनांक।
यदिलिपि-निर्भोक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- शिक्षा निदेशक (बे0)उत्तर प्रदेश निशात गंज लखनऊ।
- 2- सचिव बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
- 3- मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बे0)कानपुर मण्डल कानपुर।
- 4- जिला समाज कल्याण अधिकारी कानपुर नगर।
- 5- अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कानपुर नगर।
- 6- पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी कानपुर नगर।
- 7- संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी कानपुर नगर।
- 8- कार्यालय प्रति।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
कानपुर नगर।